न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

प्रपत्र–क

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

उपस्थितः आलोक कुमार पाण्डेय– I
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
प्रथम, हिलसा (नालन्दा)

निर्णय पारित करने की तिथि –03 अगस्त 2026 ई.

सत्र वाद संख्या–124/2011

जी.आर. वाद संख्या–607/2010

प्राथमिकी संख्या– चण्डी थाना काण्ड सं–109/2010

A

सूचिका	सूचिका/पीड़िता स्वयं
सूचिका/राज्य की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री राजाराम सिंह
अभियुक्त	रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान बल्द गेन्दा पासवान उम्र लगभग 71 वर्ष, साकिन–माधोपुर डीह, थाना– चण्डी, नालन्दा
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री अनिल कुमार

अपर सत्र न्यायाधीश हिलसा (नालन्दा)

प्रपत्र–ख

घटना तिथि	21.05.2010
ममला दर्ज होने की तिथि	23.05.2010
न्यायालय के आरोप पत्र समर्पित होने की तिथि	16.07.2010
आरोप गठन की तिथि	23.06.2011
अभियोजन साक्ष्य आरंभ होने की तिथि	20.07.2011
तिथि जिस दिन यह वाद निर्णय पर नियत किया गया	20.07.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि	10.08.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त कमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी/ इस वाद में न्यायिक अभिरक्षा में जाने की तिथि	आरोप अन्तर्गत धारा	दोषसिद्धी या दोषमुक्ति	सजा	Period of detention undergone during trial for the purpose of S.428Cr.p.c.
01	रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान पे0 गेन्दा पासवान उम्र लगभग 71 वर्ष, साकिन– माधोपुरडीह, थाना– चण्डी, नालन्दा	24.05.2010	अन्तर्गत धारा–376 भा0द0वि0	अन्तर्गत धारा–376 में दोषसिद्ध	धारा–376भा.द.वि. के अन्तर्गत किये गये अपराध हेतु 10 वर्ष सश्रम करावास का दण्ड एवं 50000/– रू0 अर्थदण्ड	दिनांक 24.05.2010 से दिनांक 01.06.2011 तक

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षियों की सूची

A

(क) अभियोजन साक्षी

कमांक	साक्षी का नाम	साक्षियों की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, अन्य साक्षी)
अ. साक्षी. 01	सूचिका के ससुर	अनुश्रुत साक्षी
अ. साक्षी. 02	सूचिका के देवर	अनुश्रुत साक्षी
अ. साक्षी. 03	सूचिका की गोतनी	अनुश्रुत साक्षी
अ. साक्षी. 04	सूचिका/पीड़िता स्वयं	सूचिका/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अ. साक्षी. 05	सूचिका की गोतनी	अनुश्रुत साक्षी
अ. साक्षी. 06	सूचिका की सास	अनुश्रुत साक्षी
अ. साक्षी. 07	नवल किशोर सिंह	अनुसंधानकर्ता
अ. साक्षी. 08	डॉ0 आशा	चिकित्सकीय साक्षी

(ख) बचाव साक्षी

कमांक	साक्षी का नाम	साक्षियों की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, अन्य साक्षी)
01	पिंटू कुमार	अन्य साक्षी
02	शिवजी पाल	अन्य साक्षी

(ग) न्यायालय साक्षी

क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्षियों की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, अन्य साक्षी)
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची

(क) अभियोजन दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श –01	सूचिका का चिकित्सकीय प्रतिवेदन

(ख) बचाव पक्ष का दस्तावेजी साक्ष्य

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

(ग) न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

(घ) वस्तु प्रदर्श (अभियोजन पक्ष से)

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

1. इस वाद में अभियुक्त रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान को दिनांक 21.05.2010 की रात्रि में 12 बजे ग्राम माधोपुर स्थित सूचिका के घर के बाहर खेत/बधार में सूचिका को ले जाकर व चाकू का भय दिखाकर एवं सूचिका का मुंह बन्द कर सूचिका के साथ जबरन बलात्कार किये जाने की तथाकथित घटना कारित करने हेतु आरोप अन्तर्गत धारा–376 भा0द0वि0 से आरोपित किया गया है।

2. सूचिका/पीड़िता द्वारा तथाकथित घटना के संदर्भ में थानाध्यक्ष, चण्डी के समक्ष किये गये कथन में वर्णित अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचिका ग्राम माधोपुर डीह, थाना–चण्डी, नालन्दा की निवासी है। दिनांक 21.05.2010 को रात्रि करीब 11 बजे सूचिका के घर में सूचिका के गॉव के ही रूपचन्द पासवान ओझाई करने के लिए आये थे तो सूचिका के घर में ओझाई का काम खत्म हो जाने पर अभियुक्त रूपचन्द पासवान बोले कि काला कबूतर लेकर बधार/घर के बाहर खेत में चलना होगा तब सूचिका अपनी गोतनी, ससुर, देवर के साथ मिलकर अपने घर से दक्षिण खेत में रूपचन्द पासवान के साथ चले जा रहे थे कि रूपचन्द पासवान सूचिका के ससुर एवं देवर को सड़क पर बैठा दिये और बोले कि आगे जाकर कबूतर की बली चढ़ाकर दोनों गोतनी को लेकर आ रहे हैं। आप दोनों यहीं बैठे रहेगें। इस पर सूचिका के ससुर व देवर सड़क पर बैठ गये। उसके बाद सूचिका एवं सूचिका की गोतनी को लेकर रूपचन्द पासवान पांच–छः खेत के बाद ओझाई करने गये। उस समय करीब 12 बज रहा होगा। तब रूपचन्द पासवान सूचिका से बोले कि कबूतर अपनी गोतनी को दे दो, तब सूचिका ने कबूतर अपनी गोतनी को दे दिया एवं रूपचन्द पासवान सूचिका की गोतनी को बोले कि यहीं पर उल्टा मुंह करके बैठो। सूचिका की ओझाई पहले कर देते हैं, तब तुम्हारी ओझाई करेगें। फिर वे अपने कमर से चाकू निकाले और गोतनी को बोले कि इधर–उधर नहीं देखना नहीं तो पाप लगेगा और अभियुक्त सूचिका का सारा कपड़ा खोलवा दिये और सूचिका को जमीन पर पटक दिये। जब सूचिका हल्ला करना चाही तो अभियुक्त उसका मुंह बन्द करके धमकी दिये कि हल्ला करोगी तो चाकू मार देगें। फिर वे सूचिका का स्तन मलने लगे एवं सूचिका के उपर चढ़कर सूचिका से बलात्कार किये एवं जब मन भर गया तो बोले कि कपड़ा पहन लो। डर के मारे कपड़ा पहन ली। तब अभियुक्त सूचिका की गोतनी के पास गये और बोले कि सूचिका की ओझाई हो गई है। अब तुम्हारी करना है एवं अभियुक्त उसे भी पकड़ना चाहे तो वह हल्ला कर दी तो उधर से सूचिका के देवर व ससुर बोले कि क्या हुआ और वे लोग खेत की तरफ बढ़ने लगे तब अभियुक्त वहीं छोड़कर भाग गया। सूचिका की गोतनी सूचिका के साथ बलात्कार होते देखी है, परन्तु डर के मारे वह हल्ला नहीं कर सकी। उसी रात जब सूचिका घर वापस आयी तो सबको इस बात की जानकारी दी, परन्तु डर के मारे थाना जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दूसरे दिन भी घर पर आकर अभियुक्त धमकाया था कि बारी–बारी से सबकी हत्या कर देंगे, अगर यह बात थाना पहुंची तो। फिर सूचिका की सास, ससुर, देवर आदि मिलकर दिनांक 23.05.2010 को सुबह ही थाना आये हैं। सूचिका के पति बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। सूचिका को अभी भी डर लग रहा था कि अभियुक्त कहीं उसकी व उसके परिवार की हत्या न कर दे। तत्पश्चात् दिनांक 23.05.2010 को समय 6.30 बजे सुबह सूचिका ने चण्डी थाना के बड़ा बाबु के समक्ष अपनी गोतनी के साथ अपना बयान दी एवं अपना बयान पढ़वाकर सुन व समझ ली एवं सही लिखा पाकर अपनी बयान ठीक लिखा पाकर अपनी गोतनी के साथ अपने अंगूठे का निशान बनायी। इस बयान के आधार पर यह घटना चण्डी थाना काण्ड सं–109/2010 (अन्तर्गत धारा–376 भा0द0वि0) के रूप में दर्ज की गई।

3. आरक्षी अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना का अनुसंधान कर घटना को धारा–376 भा0द0वि0 में सत्य पाते हुए अभियुक्त रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान के विरूद्ध उपरोक्त धारा में आरोप पत्र समर्पित किया गया। आरोपपत्र, वाद दैनिकी एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् विद्वान अ0मु0न्या0दण्डा0, हिलसा द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा–376 भा0द0वि0 में संज्ञान लेते हुए अभियुक्त रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान को विचारण हेतु आहूत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 03.02.2011 को विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा इस अभियुक्त

के इस वाद को दौरासुपुर्द कर श्रीमान् सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। तत्पश्चात् यह वाद स्थानांतरण के कम में इस न्यायालय की संचिका को प्राप्त हुआ।

4. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2011 को अभियुक्त रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान के विरूद्ध धारा–376 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन कर अभियुक्त को हिन्दी में सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने इस आरोप से इनकार करते हुए विचारण की मांग की।

5 अभियुक्त का कथन है कि ऐसी कोई तथाकथित घटना घटित नहीं हुई है एवं वे निर्दोष हैं। द.प्र.सं. की धारा–313 के अन्तर्गत किये गये कथन में भी अभियुक्त ने तथाकथित घटना से इनकार करते हुए स्वतः को निर्दोष बताया है एवं स्वतः को झूठा फंसाये जाने की बात स्वीकार की है।

6. अब इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को समस्त युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर पाने में सफल रहा है ?

मन्तव्य

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये कये हैं, जिसका विवरण पूर्व में अंकित है।

8. बचाव पक्ष द्वारा अपने प्रतिरक्षा में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, बचाव साक्षी प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण पूर्व में अंकित है।

9. बचाव पक्ष का कहना है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है एवं उसे पूर्व दुश्मनी एवं वैमनस्य के कारण इस वाद में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष का यह भी कथन है कि पीड़िता के ससुर एवं अभियुक्त मिलकर जहानाबाद से भगत बुलाकर लाये थे एवं उसी भगत ने पूजा पाठ के बाद पीड़िता का बलात्कार किया था एवं पैसा वगैरह समेटकर भाग गया था एवं पीड़िता और उसके ससुर को उस भगत का नाम एवं पता अभियुक्त नहीं बता पाये थे, इसके कारण पीड़िता द्वारा अभियुक्त को इस वाद में मिथ्या अभियोजित करा दिया है। बचाव पक्ष का यह भी कथन हे कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्यों में अभियोजन पक्ष के कथन को लेकर भारी विरोधाभाष है, जिससे अभियोजन के कथन एवं तथाकथित घटना में अभियुक्त की संलिप्तता पर भारी संदेह उत्पन्न होता हैं इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा कि. अपील (डी0वी0) नं–70/2024 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित निर्णय एवं इस निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये सम्प्रेक्षण को भी अपने बचाव का आधार बनाया गया है।

10. अभियोजन पक्ष का कथन है कि अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को समस्त युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर पाने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियोजन पक्ष का यह भी कथन है कि अभियोजन पक्ष के तथ्य के साक्षी ग्रामीण है एवं इन साक्षियों में जो भी सूक्ष्म विरोधाभाष है, वह मानवीय संवेदना एवं समय अन्तराल का स्वाभाविक परिणाम हो सकता है।

11. इस वाद में एकमात्र अभियुक्त रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान के विरूद्ध धारा–376 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है एवं इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि इस वाद के अभियुक्त रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान ने दिनांक 21.05.2010 को रात्रि में 12 बजे ग्राम माधोपुर स्थित सूचिका के घर के बाहर खेत/बधार में सूचिका को ले जाकर व सूचिका को चाकू का भय दिखाकर व सूचिका के सारे कपड़े उतरवाकर व उसका मुंह बन्द कर उसके साथ जबरन बलात्कार की तथाकथित घटना कारित किया अब इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन करें तो अ.साक्षी सं–1, जो सूचिका के ससुर है, उन्होंने

अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि उनकी पतोहू के साथ बलात्कार हुआ था। बलात्कार की घटना 12 बजे रात में हुआ था। रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान ने उनकी पतोहू के साथ बलात्कार किया था। बलात्कार खन्धा में सड़क के पश्चिम हुआ था। 15–20 मिनट बाद पतोहू के चिल्लाने की आवाज पर ये दौड़े और घटनास्थल पर गये तो इनकी पतोहू बेलग्न थी। रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान भाग गया। इनकी दूसरी पतोहू भी वहाँ गई थी। उसने उसे कपड़ा पहनाया। घर आकर पतोहू ने बताया कि उसके साथ रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान बलात्कार किया है। पतोहू की डॉक्टरी जांच बिहार में हुई थी। इनके बेटे ने भी देखा था। रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान न्यायालय में उपस्थित है, जिसे यह साक्षी पहचानते हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका–8 में स्वीकार करते हैं कि घटना से एक माह पूर्व बड़ी पतोहू का गर्भपात हो गया था। उसके लिए ओझा बुलाया गया था। ओझा दो–तीन दिन पहले आये थे। वह ओझा मुदालहे के घर में रहते थे। पूजा एक दिन हुई थी। पूजा रात में हुई थी एवं 11 बजे रात में पूजा खत्म हुई थी। कंडिका–9 में स्वीकार करते हैं कि ओझा घर में ही थे। खन्धा में नहीं गये थे। ओझा 12 बजे रात के बाद मुदालहे के घर से चले गये थे। ओझा खन्धा में जाने के लिए बोले थे। वहाँ इनके साथ दो बेटा भी था। कंडिका–10 में स्वीकार करते हैं कि दोनो पतोहू 15–20 मिनट बाद लौटकर आये और रूपचन्द कहीं चला गया। उसके बाद ये लोग घर चले आये। रात में खाना खाकर सो गये। कंडिका–11 में स्वीकार करते हैं कि बलात्कार की जानकारी दूसरे दिन 10 बजे हुई।

इसी प्रकार अ. साक्षी सं–2, जो सूचिका के देवर है, ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना करीब डेढ़ साल पूर्व रात 11 बजे की है। रूपचन्द पासवान इनके घर में ओझाई की। सूचिका का ओझाई करने आया एवं बोला कि पूजा का सब सामान ला दीजिए। पूजा हो गई। शुद्ध नहीं हो रहा है, काला कबूतर लाइए। रूपचन्द पासवान बोले कि काला कबूतर खेत में कटेगा। ये भी सूचिका, सूचिका की गोतनी और अपने पिता के साथ अभियुक्त के साथ–साथ 11 बजे रात में खेत पर गये। रोड के किनारे इन्हें व इनके पिताजी को अभियुक्त रूकने के लिए कहा। सूचिका और उसकी गोतनी को लेकर खेत की तरफ गया। सूचिका की गोतनी ने इन्हें बुलाया तो वहाँ अभियुक्त नहीं था। सूचिका और उसकी गोतनी रो रही थी। दोनों कपड़ा पहन रही थी। दोनों उस समय कुछ नहीं बोली तो ये लोग घर आ गये। अगले दिन बताया गया कि सूचिका के साथ रूपचन्द ने बलात्कार किया है। बताया कि सूचिका की गोतनी को मारकर गिरा दिया और चाकू की नोक पर सूचिका का कपड़ा खोलकर सूचिका का बलात्कार किया। ये रिपोर्ट लिखाने गये तो इन्हें अभियुक्त ने डराया धमकाया था। बिहार में सूचिका का इलाज हुआ था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानते हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका–6 में स्वीकार करते हैं कि रूपचन्द पासवान के साथ उनका रिश्तेदार आया था, जो एक दिन पहले पूजा घर पर किया था। दूसरे दिन पूजा नहीं हुई थी। सिर्फ कबूतर उड़ाना था। कंडिका–7 में कहते हैं कि घटना की रात अंधेरी थी। ये और इनके पिताजी रोड पर बैठे थे। अभियुक्त, इनकी भाभी खेत में गये थे तो दिखाई नहीं दे रहे थे। 15–20 मिनट बाद सूचिका की गोतनी इन्हें बुलायी। कंडिका–8 में स्वीकार करते हैं कि सूचिका की गोतनी जहाँ खेत में मिली वह इनके बैठने के जगह से तीन–चार खेत बाद था। जब ये गये तो अभियुक्त भाग गये थे। सूचिका और उसकी गोतनी वहाँ मौजूद थी।

इसी प्रकार अ. साक्षी सं–3 जो सूचिका की गोतनी है, उन्होंने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया हे कि घटना दो वर्ष पूर्व की है। इनकी गोतनी के साथ घटना घटी थी। घटना के दिन 11 बजे दिन में घर पर पूजा हुई थी। 11 बजे रात में रूपचन्द पासवान इन्हें, इनके देवर, इनके ससुर व सूचिका को रोड के दूसरी तरफ खेत में ले गये। ससुर और देवर को रोड पर खड़ा रहने को कहा और इन्हें और सूचिका को खेत में ले गये। अभियुक्त ने इनसे कहा कि तुमको कबूतर देगें। तुम मुंह उल्टा करके खड़ी हो जाओ। उसके बाद सूचिका को पटक कर और कपड़ा हटाकर जो पति करता है, वही कर दिये । बलात्कार करने के बाद कबूतर उड़ा दिये। इनको भी पकड़ाना चाहा तो हल्ला करने पर देवर और ससुर आये तो मुदालहे भाग गया। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानते हैं। प्रतिपरीक्षण के कंडिका–4 में इन्होंने स्वीकार किया है कि इनके यहाँ पूजा एक

दिन हुआ था। पूजा दिन में हुआ था। पूजा भूत भगाने के लिए हुआ था। पूजा एक ओझा करवाया था। उसे रूपचन्द पासवान ही लेकर आये थे।

इसी प्रकार अ.साक्षी सं–4 जो इस वाद की सूचिका एवं पीडिता है, ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना करीब साल भर पूर्व की है। घटना रात की 12 बजे की है। उस दिन इनके घर में पूजा हुई थी। रूपचन्द पासवान ने कहा कि काला कबूतर दो। काला कबूतर लेकर घर से बाहर तीन खेत बाद गये। इनके सास, ससुर देवर एवं गोतनी साथ गई थी। अभियुक्त ने इनके ससुर, देवर को सड़क पर बैठा दिया। इन्हें और इनकी गोतनी को लेकर खेत में गया। रूपचन्द ने इनका कपड़ा खोल दिया। इनकी छोटी गोतनी भाग गई और अभियुक्त ने इन्हें पटक दिया और इनके मुंह को दाबकर इनके साथ वही काम किया, जो पति, पत्नी के साथ करता है। ये चिल्लाने का प्रयास करती रही। इनकी साड़ी हटाकर इनके साथ काम किया। ये चिल्लाने लगी तो इनके ससुर और देवर दौड़कर खेत की तरफ आये तो रूपचन्द छोड़कर भाग गया। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानते हैं। प्रतिपरीक्षण के कंडिका–5 में स्वीकार करती है कि इनकी और गोतनी को गर्भपात हुआ था। दोनों को एक–एक बार हुआ था। इनके यहॉ इसके पहले पूजा नहीं हुआ था। कंडिका–8 में कहती है कि पूजा आंगन में हुआ था। कंडिका–9 में स्वीकार करती है कि पूजा होने के बाद खाना नहीं खाये थे। ओझा जी बूढ़ा थे। कबूतर वाली बात ओझा जी बताये थे। कबूतर बाजार से उसी दिन खरीदा गया था। ओझा जी खेत पर नहीं थे। कंडिका–14 में कहती है कि कपड़ा खोलने की बात जब मुदालय बोले थे तो इनकी गोतनी भी थी। इनका कपड़ा रूपचन्द अभियुक्त ने खोला था। कपड़ा खोलने लगा तो इनकी गोतनी वहीं थी। इनकी गोतनी हल्ला की थी। जैसे ही मुदालह इनका कपड़ा खोलने लगा, गोतनी चिल्लाने लगी। कंडिका–15 व 16 में स्वीकार करती है कि ये साड़ी, ब्लाउज, साया पहनी थी। अभियुक्त ने इनका साड़ी, ब्लाउज और साया खोल दिया था और फेक दिया था। ये बिल्कुल नंगी हो गई थी। नंगे होने पर हल्ला की थी। ये हल्ला करके भागने लगी थी। ये भागकर सड़क पर चली गई, जहॉ इनके देवर, ससुर बैठे थे। इनकी गोतनी पीछे से आयी थी। वह पीठ पर आयी थी और वह कपड़ा पहनी हुई थी। कंडिका–17 में स्वीकार करती है कि ये नंगे घर गई थी। इनकी पीठ में चोट लगी थी। पीठ छिला गई थी। खून थोड़ा निकला था।

इसी प्रकार अ.साक्षी सं–5 जो सूचिका की गोतनी है, ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना ढाई वर्ष पूर्व रात 11 बजे की है। ये घर में थी। रूपचन्द कहे कि काला कबूतर लाओ तो घर शुद्ध कर देगें। 11 बजे रात में काला कबूतर के साथ भैंसुर, पति एवं गोतनी एवं सूचिका साथ में गई थी, जो रूपचन्द के साथ गये थे। ससुर व पति को सड़क पर रूपचन्द बैठा दिया और गोतनी को खेत में कबूतर के साथ ले जाकर छूरा भिड़ाकर सारा कपड़ा उतार कर बलात्कार किया। सभी लोग रोते हुए घर आये तब ये यह बात जानी। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानती है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका–9,10 व 12 में स्वीकार करती है कि ये सुबह होकर घटना के बारे में जानी थी। इनके पति ने रात में इनसे कुछ नहीं कहा था। रात में भैंसुर, ससुर ने या किसी ने इनसे कुछ नहीं कहा था। दूसरे दिन इन्हें सूचिका ने घटना के बारे में बताया।

इसी प्रकार अ.साक्षी सं–6 जो सूचिका की सास है, ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि ढाई वर्ष पूर्व 9–10 बजे रात की घटना है। रूपचन्द खन्धा में सूचिका, उसकी गोतनी को लेकर गये। पीछे से इनका बेटा एवं पोता गये तो उन्हें अभियुक्त बोला कि तुम यहीं ठहरो। वह आगे जाकर कबूतर उड़ायेगा। अभियुक्त आगे ले जाकर सूचिका को पटककर बेईज्जत कर दिया। गोतनी हल्ला की। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानती है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका–11 में स्वीकार करती है कि खेत पर पूजा वाला भगत नहीं गया था। घर पर रह गया था। ये भी घर पर ही रह गई थी।

इसी प्रकार अ.साक्षी सं–7 नवल किशोर सिंह, जो इस वाद के अनुसंधानकर्ता है, ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि ये दिनांक 23.05.2010 को चण्डी थाना में अ.नि. के पद पर पदस्थापित थे। इस काण्ड के अनुसंधान का भार इन्हें मिला था। उसी दिन वादिनी का थाना पर बयान लिये। उसके बाद घटनास्थल के लिए

प्रस्थान किये। इस काण्ड का घटनास्थल ग्राम—माधोपुर डीह से दक्षिण हरेन्द्र महतो का खेत है, जिसमें ओझई का कार्य हुआ, कहा गया है। इसके करीब 100 गज उत्तर चण्डी रामघाट रोड है। दक्षिण महेन्द्र महतो का खेत, पूरब खन्धा तथा दक्षिण रामेश्वर साह का खेत है। दिनांक 23.05.2010 को घटनास्थल पर अन्य साक्षियों का बयान लिये। दिनांक 05.06.2010 को माधोपुर में भी अन्य साक्षियों का साक्ष्य लिये। इस घटना को सत्य पाकर आरोप पत्र समर्पित किये।

इसी प्रकार अ.साक्षी सं—8 डॉ0 आशा, जिन्होंने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि दिनांक 23.05.2010 को जब ये सदर अस्पताल, बिहार शरीफ में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थी तो उस दिन 1.30 पी.एम. पर इन्होंने सूचिका का परीक्षण किया था एवं उनका इन्डोर रजि0 नं—1339 सी.आर. नं—25186 था एवं इस परीक्षण के लिए उन्होंने सूचिका से लिखित सहमति प्राप्त की थी एवं इस परीक्षण के पश्चात् उन्होंने निम्न तथ्य पाये:—

MI- An old cut mark on right elbow joint.

GF- Secondary sexual organ well developed no injury on exposed part of the body.

On Internal Examination- I found her Hymen tourn old.

No injury on private part of body. Vaginal swab taken and sent for pathological examination. No spermatozoa were found in this Specimen reported by pathologest of Sadar Hospital, Nalanda.

Vagina admits two fingers easily so infarment habitted for sexual intercourse. There was no evidence of rape in my opinion. आगे इन्होंने स्वीकार किया है कि यह प्रतिवेदन इनके लेख और हस्ताक्षर में है, जिसके आधार पर इन्हें प्रदर्श चिन्हित किया गया है। प्रतिपरीक्षण में इन्होंने स्वीकार किया है कि इस प्रतिवेदन में सूचिका या उसके किसी संबंधी का सहमति के रूप में हस्ताक्षर नहीं है एवं जिस सूचिका का इन्होंने परीक्षण किया है, वह इनके सामने उपस्थित नहीं है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी सं—1 पिंटु कुमार ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि वे दोनों पक्षों को जानते हैं। सूचिका ने यह मुकदमा रूपचन्द पासवान पर किया है। दोनों पड़ोसी है एवं इनका भी घर वहीं पर है। सूचिका का परिवार झाड़फूक में विश्वास करनेवाला है। वर्ष 2006 में सूचिका के ससुर एवं अभियुक्त दोनों मित्र थे और ये दोनों मिलकर जहानाबाद से भगत बुलाकर लाये, क्योंकि सूचिका को गर्भपात हो जाता था। भगत पूजा पाठ किया। तीन दिनों तक यह प्रक्रिया चली। तीसरे दिन की रात में कहा कि कबूतर उड़ायेगा तब बच्चा होगा, परन्तु वह भगत सूचिका के साथ बलात्कार किया और पैसा वगैरह समेटकर भाग गया। सूचिका एवं उसके ससुर द्वारा अभियुक्त से भगत का नाम पता बताने को कहा गया, परन्तु अभियुक्त ने कहा कि तुम भी साथ में गये थे, जाकर पता करिये। इसी के तीन—चार दिनों बाद सूचिका के ससुर ने झूठा मुकदमा कर दिया। अभियुक्त भगत का काम नहीं करते हैं एवं वह निर्दोष है। प्रतिपरीक्षण में इन्होंने स्वीकार किया है कि इन्हें गवाही देने के लिए रूपचन्द पासवान बुलाकर लाये हैं। इसके पूर्व पुलिस में ये बयान नहीं दिये थे।

इसी प्रकार बचाव साक्षी सं—2 शिवजी पाल ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है कि दोनों पक्ष इन्हीं के गॉव के हैं। सूचिका के ससुर ताड़ चढ़ने का काम करते हैं एवं उसका परिवार भूत को मानता था। लगभग छः वर्ष पूर्व सूचिका के ससुर एवं अभियुक्त जहानाबाद से भगत बुलाये थे और ये दोनों भगत को लेकर आये थे। दो—तीन दिनों तक झाड़फूक होता रहा। वह भगत भोर में भाग गया। सूचिका के ससुर ने अभियुक्त को कहा कि भगत भाग गया है, उसे बुलाकर लाओ। रूपचन्द ने कहा कि वो कहां से बतायेगा। तब रूपचन्द पर मुकदमा हो गया। प्रतिपरीक्षण में इनहोंने स्वीकार किया है कि ये रूपचन्द के कहने पर ही गवाही देने आये हैं। इससे पहले पुलिस में या न्यायालय में कभी गवाही नहीं दिये हैं। ये जहानाबाद नहीं गये थे। जहानाबाद से ही भगत आया था। इसका प्रमाण नहीं दे सकते हैं। ये भगत की उम्र, रंग—रूप नहीं बता सकते हैं।

अब यदि अभियोजन पक्ष के उपरोक्त कथन के आलोक में इस वाद के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी अ.साक्षी सं–4 सूचिका/पीड़िता के साक्ष्य का अवलोकन करें तो इन्होंने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में घटना तिथि व समय पर घटनास्थल पर अपनी स्वाभाविक उपस्थिति को स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया है कि घटना तिथि की रात को पूजा हुई थी एवं रात 12 बजे अभियुक्त काला कबूतर लेकर इन्हें इनके ससुर, देवर, इनकी गोतनी के साथ खेत में गया एवं अन्य लोगों को दूर बैठाकर इनकी सारा कपड़ा खोलकर एवं पटक कर इनके साथ बलात्कार किया। इन्होंने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति के कारणों को भी स्पष्ट किया है एवं न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को भी पहचानी हैं। बचाव पक्ष के लम्बे प्रतिपरीक्षण के दौरान इनके साक्ष्य में ऐसा कोई तात्विक तथ्य नहीं आया है, जिससे इनके मुख्य परीक्षण पर संदेह उत्पन्न होता हो। वे इस वाद की पीड़िता है एवं इन्होंने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के उपरोक्त कथन का स्पष्ट समर्थन किया है। अतः ये इस वाद की सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है एवं इनका साक्ष्य इस वाद में काफी महत्वपूर्ण, सुसंगत एवं ग्राह्य है।

अब इस वाद के अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण क्रमशः अ.साक्षी सं–1, 2 व 3 के साक्ष्य का अवलोकन करें तो इन साक्षियों ने भी अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में घटना तिथि व समय पर घटनास्थल के समीप अपनी स्वाभाविक उपस्थिति को स्पष्ट करते हुए अभियोजन पक्ष के उपरोक्त कथन का समर्थन किया है एवं इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना तिथि व समय पर घटनास्थल पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया गया है। अ.साक्षी सं–2 व 3 ने यह भी स्वीकार किया है कि उस दिन घर में पूजा पाठ हुई थी एवं अभियुक्त ने पूजा के बाद काला कबूतर लेकर इन सबको एवं पीड़िता को खेत में चलने को कहा एवं इसी क्रम में ये सब घटनास्थल के पास गये थे। बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण के क्रम में इन साक्षियों के साक्ष्यों में भी ऐसा कोई तात्विक तथ्य नहीं आया है, जिससे इनके मुख्य परीक्षण पर संदेह उत्पन्न हो। ये तीनों साक्षी पीड़िता के परिवार के हैं और इन्होंने घटना के समय घटनास्थल के पास अपनी उपस्थिति को साबित व स्थापित किया है और न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान की है। अतः इन साक्षियों का साक्ष्य भी इस वाद में काफी महत्वपूर्ण, सुसंगत एवं ग्राह्य है।

अब अ.साक्षी सं–5 व 6 के साक्ष्य का अवलोकन करें तो यद्यपि ये साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं, किन्तु इन्होंने अभियोजन पक्ष के उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए स्वीकार किया है कि घटना तिथि व समय पर घटनास्थल पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया गया था।

अब यदि चिकित्सक साक्षी (अ.साक्षी सं–8) के साक्ष्य का अवलोकन करें तो यद्यपि उन्होंने स्वीकार किया है कि जांच के क्रम में पीड़िता के शरीर पर एवं उसके प्राईवेट पार्ट पर कोई जख्म नहीं पाया गया है एवं Resent rape का कोई चिन्ह नहीं पाया गया है। किन्तु यहां यह कहना प्रासंगिक होगा कि पीड़िता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसे भयभीत करके अभियुक्त ने बलात्कार किया था। वह विवाहित एवं व्यस्क है तथा तथाकथित घटना दिनांक 21.05.2010 की है एवं पीड़िता की जांच चिकित्सक द्वारा दिनांक 23.05.2010 को हुई है। इसी प्रकार अ. साक्षी सं–7 अनुसंधानकर्ता ने स्वयं अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए इन्होंने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया।

अब यदि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दोनों साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन करें तो यद्यपि इन दोनों साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त निर्दोष है एवं बलात्कार की घटना उनके द्वारा नहीं की गई है, किन्तु इन साक्षियों ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट स्वीकार किया है कि उन्हें अभियुक्त गवाही देने के लिए बुलाकर लाये हैं एवं पूर्व में पुलिस के समक्ष उनका बयान नहीं हुआ था एवं बचाव साक्षी सं–2 ने यह भी स्वीकार किया है कि वह भगत का रंग, रूप या उम्र नहीं बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त बचाव साक्षी सं0–01 ने यह स्वीकार किया है कि सूचिका के साथ बलात्कार हुआ था। अतः इन दोनों साक्षियों के साक्ष्यों

के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन दोनों साक्षियों के साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों पर अविश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अब यदि बचाव पक्ष द्वारा दाखिल माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्याय निर्णयन का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निष्पादित मामले के तथ्य एवं परिस्थितियां इस वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों से पूर्णतः मेल नहीं खाती है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के विवेचन व विश्लेषण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित व स्थापित कर पाने में पूर्णतः सफल रहा है कि दिनांक 21.05.2010 को रात्रि 12 बजे ग्राम माधोपुर स्थित सूचिका/पीड़िता के घर के बाहर खेत/बधार में अभियुक्त द्वारा सूचिका को ले जाकर चाकू का भय दिखाकर व सूचिका का मुंह बन्द कर सूचिका के साथ जबरन बलात्कार की घटना कारित की गई है। अतः इन तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोप को समस्त युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर पाने में पूर्णतः सफल रहा है।

अब यदि इस वाद के पीड़ित पर विचार करें तो यह साबित व स्थापित हो चुका है कि इस वाद के अभियुक्त द्वारा सूचिका के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई है एवं सूचिका ने भी न्यायालय में आकर इस तथाकथित घटना का स्पष्ट समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय इस वाद की सूचिका को पीड़िता की श्रेणी में पाती है।
अतएवः

आदेश

अभियुक्त रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान को आरोप अन्तर्गत धारा–376 भा0द0वि0 में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है। इनके बन्धपत्र को खण्डित करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया एवं सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु यह वाद दिनांक 10.08.2026 को नियत किया जाता है एवं दोषसिद्ध को अभिरक्षा अधिपत्र के साथ दिनांक 10.08.2026 तक के लिए उप–कारा प्रेषित किया जाता है।

दिनांक–03.08.2026
स्थान– हिलसा, नालन्दा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

10.08.2026 (सजा के बिन्दु पर सुनवाई)

यह वाद आज दोषसिद्ध रूपचन्द उर्फ रूपचन्द्र पासवान की सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत है। दोषसिद्ध को अभिरक्षा अधिपत्र के साथ उप–कारा से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुकार पर विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। सजा के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुना।

दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि दोषसिद्ध की यह प्रथम दोषसिद्धी है एवं यह काफी वृद्ध व्यक्ति है तथा इस वाद में काफी लम्बा विचारण चला है एवं यह विचारण के क्रम में पूर्ण सहयोग किया है। अतः इनकी उम्र, भविष्य एवं पूर्व आचरण को देखते हुए इन्हें न्यूनतम दण्ड देने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया है कि दोषसिद्ध द्वारा किया गया अपराध काफी जघन्य है। अतः इन्हें अधिकतम दण्ड देने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख पर दोषसिद्ध के पूर्व दोषसिद्धी का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि इनकी यह प्रथम दोषसिद्धी है, किन्तु दोषसिद्ध द्वारा किया गया अपराध एक महिला के आत्म सम्मान एवं गरिमा के विरूद्ध किया गया अपराध है। अतः इस अपराध की प्रकृति, गम्भीरता एवं इससे ~~सजा~~ समाज पर पड़नेवाला प्रभाव को देखते हुए यह न्यायालय दोषसिद्ध को धारा–376 भा0द0वि0 के अन्तर्गत किये गये अपराध हेतु 10 वर्ष का सश्रम कारावास का दण्ड एवं 50000/–रू0 अर्थदण्ड की सजा देती है। अर्थ दण्ड की राशि का भुगतान न किये जाने की स्थिति में दोषसिद्ध को 10 माह साधारण कारावास का अतिरिक्त दण्ड भुगतना होगा। दोषसिद्ध को द.प्र.स. की धारा–428 का लाभ प्राप्त होगा।

अब यदि पीड़ित प्रतिकर के संदर्भ में विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस वाद की सूचिका को इस वाद में पीड़ित की श्रेणी में पाया गया है। अतः दोषसिद्ध द्वारा अर्थ दण्ड की राशि अदा किये जाने के पश्चात् उस अर्थ दण्ड की राशि का आधा भाग पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर के रूप में प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त इस वाद के तथ्यों, परिस्थितियों के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपरोक्त धनराशि पीड़ित प्रतिकर के रूप में पर्याप्त नहीं है। अतः कार्यालय इस निर्णय की प्रति को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नालन्दा प्रेषित करें, जिससे जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नालन्दा द्वारा पीड़ित प्रतिकर के संदर्भ में उचित व कानूनसंगत आदेश पारित कर सके।

दिनांक– 10.08.2026
स्थान– हिलसा, नालन्दा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

मेरे द्वारा संशोधित, हस्ताक्षरित व दिनांकित निर्णय आज उभय पक्षों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–10.08.2026
स्थान– हिलसा, नालन्दा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

S.Tr. 124/2011

Uploading date	13.08.2016
Uploaded by	R.R. Prasad (D.E.O.)